मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 15 जनवरी, 2014 (पौष 25,1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे पटल पर रखे.

(2) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2012-13 पटल पर रखी.

2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण).

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर 11 जनवरी, 2014 को हुई चर्चा के क्रम में श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया.

(संशोधनों पर मत लिया गया)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था.

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पारित होने के बाद, पुन: बोलने (Right to Reply) की नियमानुसार अनुमति नहीं होने विषयक

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर, श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के उत्तर के पश्चात् सर्वश्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष को पुन: बोलने (Right to Reply) की अनुमति नहीं मिल पाने के विरोधस्वरूप, श्री मुकेश नायक तथा संजय पाठक सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से अनुरोध किया गया कि माननीय सदस्यगण हेतु एक प्रबोधन कार्यक्रम अवश्य रखना चाहिए, जिसके माध्यम से सदन में उत्तम आचरण एवं व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जा सके और हम संसदीय परम्परा के उच्चतम मापदण्ड कायम कर सकें. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी इस संदर्भ में सहमति व्यक्त की गई.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि - यह प्रश्नकाल नहीं है, आप मेरे कक्ष में चर्चा कर लें. आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको आगे भी कई विषयों पर चर्चा के अवसर मिलेंगे. मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 17 (पृष्ठ 11) में यह उल्लेख है कि - "शासन की ओर से मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री को चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं, चर्चा के अन्त में शासन की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा." कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो गई है, यह पारित हो गया है. अत: नियमानुसार अनुमति नहीं दी जा सकती है.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

5. वर्ष 2013-14 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अतः वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

"दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76 तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छः हजार छः सौ तेईस करोड़, इकसठ लाख, तिरसठ हजार, छः सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) श्री मुकेश नायक
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(5) श्री जितू पटवारी
(6) डॉ. रामकिशोर दोगने
(7) श्री गोविन्द सिंह पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(8) श्री कमलेश्वर पटेल
(9) डॉ. मोहन यादव

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(10) श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

(क) नियमानुसार अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद, उसमें दर्शित मदों तक ही सीमित रखने विषयक

अनुपूरक मांगों पर, श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि "मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि अनुपूरक बजट में सामान्य चर्चा नहीं की जाती है. यह परंपरा भी है और नियम भी है. अत: आपसे अनुरोध है कि कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होकर पारित हो चुका है, इसलिए आप कृपया अनुपूरक पर ही अपनी बात रखें.

इस संबंध में मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 156(2) में यह प्रावधान है कि - "अनुपूरक अनुदानों पर वादविवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिन पर अनुपूरक अनुदान बताये गये हों और जब तक तदधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी."

(ख) मा. नेता प्रतिपक्ष को किसी भी समय, सदन में जारी विषय पर परम्परानुसार बोलने की अनुमति होने विषयक

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष या माननीय सदन के नेता किसी भी समय बोल सकते हैं. इस कथन पर अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि - जो विषय चल रहा हो, संदर्भित विषय पर ही बोल सकते हैं. यह मेरा विशेष अनुरोध है. आपके अधिकारों पर या किसी भी माननीय सदस्य के बोलने के अधिकारों पर कोई रोक नहीं है पर जो विषय चल रहा हो और जिन नियमों के अधीन उन पर चर्चा होती है, कृपया उन्हीं नियमों के अंतर्गत, उसी विषय पर बात करें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी. आपके ही दल के वरिष्ठ सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा ने मदवार चर्चा की थी, यही अनुपूरक पर प्रासंगिक बोलने की विधि है. यह मेरा आपसे अनुरोध है. अत: अनुपूरक की राशि क्यों दी जाए, क्यों न दी जाए, इस पर चर्चा केन्द्रित होनी चाहिए.

7. वर्ष 2013-14 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने अपना भाषण पूर्ण किया.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

9. वर्ष 1999-2000 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि–

"दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 14, 23, 27, 44, 50, 59, 60, 69, 75, 89, 6, 21, 23, 24, एवं 30 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को पांच सौ सत्तावन करोड़, पचानवे लाख, उनतालीस हजार, छ: सौ छियासठ रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

11. वर्ष 2000-01 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि–

"दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 70, 88, 21, 23 एवं 24 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक करोड़, तीन लाख, पैसठ हजार, तीन सौ चौसठ रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 3) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 3) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014), पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

13. वर्ष 2002-03 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि–

"दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 24, 67, 53, 21, 23, 44 एवं 67 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को अड़तालीस करोड़, अठासी लाख, दो हजार, सात सौ इक्यासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

15. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उदगार व्यक्त किये गये:-

मध्यप्रदेश की गवगठित चतुर्दश विधान सभा का प्रथम सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है. इस सत्र में 5 बैठकें हुईं, जिनमें नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ, अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन, माननीय नेता प्रतिपक्ष की घोषणा, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एवं अनेक विधायी और वित्तीय कार्य सम्पन्न हुए.

अध्यक्ष के रूप में मेरा यह प्रथम सत्र था जिसमें मैंने आप सभी की अपेक्षा के अनुरूप निष्पक्षता से सदन के संचालन का प्रयत्न किया एवं सभी को अपनी बात रखने का यथा संभव अवसर दिया. संसदीय लोकतंत्र की यही विशेषता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायी सदनों के सदस्य बनते हैं और संसदीय लोकतंत्र की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक भावनाओं, मूल्यों तथा आदर्शों को पुष्ट करते हैं. हमारी शासन पद्धति में विधायी निकाय जनता की आशाओं ओर अपेक्षाओं के केन्द्र होते हैं जिन्हें सदस्य सदन में अपने संवैधानिक एवं संसदीय दायित्वों का निर्वाह कर पूरा करने का प्रयास करते हैं.

इस सदन में 102 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं. अनेक सदस्य दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं एवं सर्वाधिक दसवीं बार तक भी निर्वाचित हुए हैं. हम सभी को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है. सभी की दलीय निष्ठाएं अलग-अलग हो सकती हैं, किन्तु जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमारी भावना और लक्ष्य यही है कि हम अपने कार्य-व्यवहार से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरें और संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों एवं पंरपराओं के दायरे में रह कर जनता की सेवा एवं कल्याण हेतु कार्य करें क्योंकि जनता ने हम सभी को इसी भावना से चुनकर भेजा है.

इस सदन की अत्यंत गौरवशाली पंरपराएं रहीं हैं. हमारे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने जो उच्च आदर्श स्थापित किए हैं उन्हें हमें अपने कार्यों से और आगे बढ़ाना होगा. हमें स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने और संसदीय संस्कृति के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा. मुझे विश्वास है कि यह सदन भी प्रदेश के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा.

इस लघु सत्र में सहयोग के लिए मैं, सदन के माननीय नेता, नेता प्रतिपक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, सभी मंत्रियों एवं सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. मैं विधान सभा सचिवालय एवं शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूँ. मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुडे पत्रकारों को भी धन्यवाद देता हूँ. मैं पूरे सदन की ओर से आप सब एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करता हूँ. अगले सत्र में हम सब पुन: यथाशीघ्र समवेत होंगे.

श्री शिवराज सिंह चौहान,माननीय सदन के नेता, श्री मुकेश नायक, सदस्य तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये.

16. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह गान किया गया.

अपराह्न 2.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक:- 15 जनवरी, 2014

राजकुमार पांडे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा